

फार्म
(31.12.2017 की स्थिति में)
* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष -2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम,जिसमें वह हो - वीरेन्द्र कुमार ,म.प्र. वित्त सेवा 2. वर्तमान धारित पद - अपर सचिव

2. वर्तमान वेतन 107300 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.07.2018


उस जिले,उप संभाग,तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. भोपाल	---	D-3/541-42 दानिश नगर 278.81 sqm	लगभग 35 लाख	---	सामान्य भविष्य निधि से आंशिक अंतिम आहरण लेकर क्रय.	---	---
2. भोपाल	LIG-36-2 बी, साकेत नगर 232.34 sqm	---	लगभग 55 लाख	80% श्रीमती सुरेखा (पत्नी)	भारतीय स्टेट बैंक से ऋण प्राप्त कर क्रय.	84,000/-	---
3. ग्राम-अरेर, लक्ष्मीपुर जिला - मधुबनी	भवन	3 बीघा	---	पिताजी के नाम से अभी बैंटवारा नहीं.	विरासत में	---	---

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली थी उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे व बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर  30/11/2018
नाम - वीरेन्द्र कुमार
पद - अपर सचिव
विभाग - मध्य प्रदेश विधान सभा.